



लैंगिक (जेंडर) समाजीकरण में विद्यालय की भूमिका

हरीश पाण्डेय

संध्या द्विवेदी

एम० एड० छात्र

शिक्षा शास्त्र संकाय

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

शिक्षा शास्त्रियों व समाजशास्त्रियों का एक ऐसा वृहद् समूह है
जो शिक्षा के वर्चस्ववादी व यथास्थितिवादी चरित्र की कटु
आलोचन करते हैं।

मैक्स वेबर लिखते हैं कि वर्चस्ववादी समूह की ताकत अपनी संस्कृति
को स्कूलों पर थोप पाने की क्षमता में निहित है बोडर्यू अपने लेख समाजिक व सांस्कृतिक
पुनरुत्पादन में बताते हैं कि शिक्षा सभी वर्गों के हितों के प्रति समान रूप से प्रतिबद्ध नहीं
होती है बल्कि अनिवार्यतः सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक दृष्टि ये सशक्त वर्गों के हितों
की ओर झुकी होती है घोषित उददेश्य यह होता है कि शिक्षा समानता लाती है परन्तु
व्यवहार में स्कूल में कोई विद्यार्थी अपने साथ जितनी सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक
पूँजी लेकर आता है शिक्षा उस पर निवेशकर उसे बहुगुणित करती है। इस प्रकार शिक्षा
यथार्थतः सामाजिक व सांस्कृति वर्चस्व का पुनरुत्पादन करती है।

शिक्षाशास्त्र पाओलो फ्रेरे भी अपनी कृति 'उत्पीड़ितो का शिक्षाशास्त्र में
शिक्षा के यथास्थितिवादी चेहरे का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। मानवतावादी मार्क्सवादी
व उत्तरसंरचनावादी लुईस अल्थुजर – ने अपने लेख विचारधारा व राज्य के वैचारिक
उपकरण द्वारा यह उजागर किया है कि किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था राज्य की वैचारिकी के
प्रेषक व पोषक की भूमिका निभाती है।

वास्तव में शिक्षा को जादुई छड़ी व समाज के समस्त समस्याओं के राम बाण इलाज के रूप में देखने वाली दृष्टि बहुत खोखली है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक व्यवस्था का अंग होने के कारण शिक्षा व्यवस्था में वर्चस्व दमन व हथियाकरण के सामाजिक यथार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। शिक्षा व्यवस्था समाज के शक्तिशाली लिंग, वर्ग, नस्ल, व समूह की पक्षधर होती है। यही कारण है कि एक जेण्डरीकृत समाज में शिक्षा लैंगिक असमानता से मुक्त नहीं होती है।

जेंडर समाजीकरण एवं छिपा हुआ पाठ्यक्रम

“समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह के मानकों को पुष्ट करना सीखता है।” अतः समाजीकरण एक अधिगम प्रक्रिया है न कि आनुवांशिक विरासत है। समाजीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जन्म के तुरन्त बाद से ही हो जाती है। दुनिया के समस्त संस्कृतियों में बालक व बालिका शिशु के पालन पोषण के लिए अलग—अलग तरीके प्रस्तावित किये जाते हैं।

“बालक व बालिका शिशु को उसके लिंग के अनुसार ‘उपयुक्त व्यवहार’ सीखाना ही जेंडर (लैंगिक) समाजीकरण कहलाता है।” अतः जेंडर समाजीकरण लिंग आधारित समाजिक भूमिकाओं को सीखना है। सामाजिक क्रियाकलाप के जरिये बच्चों के व्यक्तित्व में पुरुषत्व व नारीत्व पैदा किया जाता है और वे उससे जुड़े बर्ताव के तरीकों, रवैयों और भूमिकाओं को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। अतः पुरुषत्व व नारीत्व व्यक्तियों के अंतर्निहित गुण नहीं होते, वे हमारे समाज के अंतर्निहित या संरचनागत गुण होते हैं।

बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार के बाद विद्यालय अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि बच्चे अपने जीवन के कुछ सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ष यहाँ बिताते हैं। चूँकि विद्यालय समाज के अंदर ही स्थित होते हैं। अतः निसंदेह समाज की समस्त विशेषताएँ अपने कम या अधिक रूप में यहाँ पाई जाती हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में स्कूल एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ मूल्यों एवं कायदों को स्थापित किया जाता है और आदर्शों को गढ़ा जाता है। इसमें ऐसा माहौल बनाया जात है जिसमें सीखने वाले कुछ खास कायदे कानूनों को अपनाने के लिए अनुशासित किए जाते हैं। अगर वे इन

कायदे—कानूनों का पालन नहीं करते हैं या उनको तोड़ते हैं तो उनको दण्डित भी किया जा सकता है।

विद्यालय बच्चों में दूसरों के सापेक्ष खुद के अस्तित्व की समझ को विकसित करता है। लड़के एवं लड़कियों में जेंडर आधारित विशिष्ट भूमिका की समझ स्कूल के प्रारंभ में ही स्थापित हो जाती है, जिसे दिन—प्रतिदिन शिक्षक/शिक्षिका के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चे भी जेंडर संबंध एवं भूमिका, जाति, वर्ग इत्यादि को उसी उसी रूप में देखता व समझता है, जैसी समझ विद्यालय में इन मुद्दों के प्रति परिलक्षित होती है। ऐसे में विद्यालय की भूमिका को जेंडर पूर्वाग्रह के परिप्रेक्ष्य में नकारा नहीं जा सकता।

विद्यालय जेंडर भूमिकाओं को सिखाने वाली सबसे शुरूआती औपचारिक संस्था है। विद्यालय लैंगिक समाजिकरण दो माध्यम से करती है—

(1) पाठ्यपुस्तक

(2) छिपा हुआ पाठ्यक्रम।

(1) पाठ्यपुस्तक

लड़कियों व औरतों की गैर—मौजूदगी और भाषा व थीमपरक विषयवस्तु में लैंगिक पूर्वाग्रहों व भेदभाव को उजागर करने के लिहाज से पाठ्यपुस्तकों सूक्ष्म विश्लेषण का केन्द्रिय बिन्दु बनी हैं किन्तु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मूल्य और मानक हैं जो विद्यालय में पाठ्यपुस्तकों के अलावा भी फैलाए जाते हैं जिनका हमें निरीक्षण करना पड़ता है। विद्यालयी वातावरण और शिक्षण व्यवहार घोषित तौर पर जेंडर असमानता को प्रोत्साहित नहीं करते परन्तु विद्यालय में जेंडर असमानता छिपा हुआ पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है।

“एक ही कक्षा में बैठने, समान पाठ्यपुस्तक को पढ़ने, एक ही शिक्षक/शिक्षिका को सुनने के बावजूद लड़के एवं लड़कियाँ बहुत ही भिन्न शिक्षा को ग्रहण करते हैं।” सेडलर 1994

(2) छिपा हुआ पाठ्यक्रम

वह शैक्षिक व्यवहार, मानक व नियम है जो लिखित नहीं होते हैं। या अलिखित है परन्तु उनका पालन शैक्षिक संस्थाओं द्वारा बहुत ही निष्ठा के साथ किया जात है। इनका थोड़ा भी उल्लंघन जबरदस्त प्रतिक्रिया उत्पन्न अलिखित होने के बाजजूद विद्यालय के सभी हितधारक (शिक्षक/प्रबंधक) इसके बारे में सचेत होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, कि छिपा हुआ पाठ्यक्रम का लिखित स्वरूप नहीं होता लेकिन यह पाठ्यक्रम का वह स्वरूप है, जिसके तहत स्कूलीतंत्र एवं समाज के द्वारा मान्यता मूल्य एवं सूचनाएँ बच्चों को प्रभावित करती हैं।

रोजमर्ग के विद्यालयी जीवन में औरतपन व मर्दपन को गढ़ने वाले विद्यालय के अंदर होने वाले व्यवहारों के प्रतिरूप लैंगिकता के छुपे पाठ्यक्रम के लिए पृष्ठभूमि का कार्य करते हैं। ये प्रतिरूप एक तरह के लैंगिक नियम—कायदे गढ़ते हैं।

विद्यालयों में बच्चे लैंगिकता के बारे में कैसे सीखते हैं। इसकी विद्यालय के संदर्भ में व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है।, जिसके तहत निम्नांकित तथ्य हमारे सम्मुख उभर कर आए हैं।

लड़के एवं लड़कियों हेतु बैठने की अलग व्यवस्था

यद्यपि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय सहशिक्षा प्रदान करते हैं परन्तु अधिकांश विद्यालय में लड़के एवं लड़कियों हेतु बैठने की व्यवस्था अलगाव पर आधारित होती है। लड़के एवं लड़कीयों को अलग—अलग बैठाया जाता है। शुरूआती कक्षाओं में यह अध्यापकों द्वारा सचेत रूप से लागू की जाती है। और बाद की कक्षाओं में विद्यार्थी स्वयं इस मानक का अनुकारण करने लगते हैं। कक्षा में बैठने के अलावा प्रार्थना सभा में भी लड़के और लड़कियाँ अलग—लगाग पंकियों में खड़े होते हैं या फिर लड़कियाँ आगे व लड़के उनके पीछे खड़े होते हैं। अतः सामान्य तौर पर प्रार्थना कराने की जिम्मेदारी लड़कियों की ही होती है।

उपर्युक्त व्यवहार समाज में प्रचलित जैंडर अलगाव को ही पुष्ट करते हैं। विद्यालय में भी लड़के व लड़कियों के मध्य अतः क्रिया को सामान्य व्यवहार नहीं माना जाता, अतः इन्हें प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता है। चूँकि कक्षा में बैठने की व्यवस्था लैंगिक आधारित होती

है किन्तु कभी-कभी कक्षा में शान्ति बनाए रखने के लिए लड़के व लड़कियों को साथ में बिठा देते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनके मध्य अंतः क्रिया नहीं होने से कक्षा में शोर नहीं होगा। कभी-कभी सज्जा के तौर पर भी लड़के व लड़कियों को साथ बिठाते हैं या फिर लड़के को लड़कियों के बीच बैठा दिया जाता है।

पाठ्य – सहभागी क्रियाएँ और खेलों की जेंडर व्यवस्था

विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास हेतु विद्यालय में विविध प्रकार की पाठ्य-सहगामी क्रियाएँ आयोजित की जाती हैं। परन्तु विद्यालय में यह पूर्णतः लिंग सापेक्ष होता है। जहाँ एक ओर लड़कियों को कला, गायन, रंगोली साज-सज्जा आदि क्रियाओं में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वहीं लड़कों को भाषण, बाद-विवाद, कविता-पाठ में प्रधानता दी जाती हैं।

विद्यालय में खेलों की व्यवस्था भी लिंग सापेक्ष होती है। लड़कों के लिए जहाँ दौड़ने-भागने वाले खेल साथ-फुटबॉल, क्रिकेट, आदि उपलब्ध होते हैं। वहीं लड़कियों के लिए कैरम, लूडो, रस्सी-कूद, खो-खो, कबड्डी, बैडमिंटन आदि खेलों की व्यवस्था होती है। इन खेलों को या तो एक जगह बैठकर खेला जाता है या बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है। शिक्षक इस ओर सचेत रहते हैं कि लड़के व लड़कियों के लिए जो खेल निर्धारित किए गए हैं वह उसी में भाग लें। अपने जेंडर के विपरीत खेल की माँग करने पर उन्हें सीधे तौर पर मना किया जाता है।

शिक्षक का कक्षा-कक्ष व्यवहार और ध्यान

कक्षा में शिक्षक लड़कियों की तुलना में लड़कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तथा जो ध्यान महिला विद्यार्थी प्राप्त करती भी हैं। वह लड़कों की तुलना में ज्यादा नकारात्मक होता है। चूँकि गणित और विज्ञान विषय की छवि पुरुषोचित विषय की है अतः शिक्षक लड़कों को इन विषयों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वहीं लड़कों की तुलना में लड़कियों पर कम ध्यान दिया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता काम करती है कि 'लड़कियों को गणित पढ़ कर क्या करना है उन्हें मार्केटिंग से मतलब तो है नहीं' या लड़कियाँ गणित में कमजोर होती हैं। अध्यापिकाएँ भी इन मान्यताओं में विश्वास करती हैं। शिक्षक कक्षा में लड़कों से ज्यादा चुनौतीपूर्ण सवाल पूछते हैं। एक शिक्षक-छात्र के मध्य जितना स्वस्थ

अतः क्रिया होती है उतना एक छात्रा के साथ नहीं होती। इस प्रकार की विभेदात्मक शिक्षक —अतः क्रिया लड़कों और लड़कियों को बहुत अलग किस्म के सन्देश देती हैं ये सन्देश विद्यार्थियों के अलग प्रत्यय को प्रभावित करते हैं। और बाद की उपरी कक्षाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अतः शिक्षक को इन मुद्दों के प्रति जागरूक और सचेत होने की आवश्कता है

ऐसे ही परिणाम भारतीय स्कूलों के सन्दर्भ में रामचन्द्रन को भी मिले जिसमें पाया गया कि कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों से ज्यादा सवाल पूछे गये।

विद्यालयी कार्यों का बँटवारा

विद्यालयों में कार्यों का बँटवारा भी इस प्रकार से किया जाता है कि उनका समाज स्वीकृत पुरुषोचित व स्त्रियोचित कार्यों के विभाजन से कोई खास विरोध न रहे। उदाहरण के लिए—लड़कियों को शांत व नियंत्रण में रखने, कक्षा व श्यामपट्ट की सॉफ—सफाई तथा रजिस्टर की देखभाल का कार्य लड़कियों को दिया जाता है। वहीं पूरी कक्षा को शांत व नियंत्रण में रखने, बाहर से सामान लाने का कार्य फर्नीचर को उठाकर ले आने—जाने का कार्य लड़कों को सौंपा जाता है। लड़कियों को ऐसे काम दिए जाते हैं। कि जिससे कि जिम्मेदारी का दायरा कक्षा और विद्यालय की चारदीवारी से घिरी जगहों में ही कैद रहता है, जबकि लड़कों को विद्यालय से बाहर जाने की अज़ादी मिलती है।

शिक्षक की प्रत्याशा

कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भविष्य में वैसा ही बनता है जिसकी उससे प्रत्याशा की जाती है। शिक्षक विद्यार्थियों से कैसी प्रत्याशा था करते हैं इसका विद्यार्थियों के भविष्य की आकांक्षाओं पर निर्णायक प्रभाव पड़ता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जो प्रत्याश करते हैं उसमें जेंडर एक महत्वपूर्ण आयाम है। सामान्यतः अध्यापक यह मानते हैं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लड़कों को सार्वजनिक जीवन के लिए तैयार करना है। लड़कों को नौकरी करना है। तथा परिवार का प्रदाता बनना है वहीं लड़कियों के लिए मुख्य भूमिका घर के अंदर माँ और पत्नी की है। वर्तमान समय में लड़कियाँ भी नौकरी कर रही हैं इसके बावजूद भी लड़कियों हेतु उपरोक्त लक्ष्य कम महत्वपूर्ण या कम बाध्यकारी माने जाते हैं।

विभेदीकृत दण्ड

यद्यपि विद्यालय में कठोर शारीरिक दण्ड का निषेध किया गया है। किन्तु आज भी बहुत से विद्यालयों में शारीरिक दण्ड दिया जाता है। विद्यालय में दण्ड की व्यवस्था लिंग सापेक्ष होती है। लड़कों को ज्यादा कठोर शारीरिक दण्ड दिया जाता है। क्योंकि यह माना जाता है कि लड़के शारीरिक रूप से मजबूत व शक्तिशाली होते हैं। लड़कों को लिए जाने वाले दण्ड के रूप में उनकी पिटाई करना स्कूल के मैदान का चक्कर लगाना इत्यादि सम्मिलित है लड़कियाँ शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं। उन्हें कम शारीरिक दण्ड दिया जाता हैं अतः उन्हें कम शारीरिक दण्ड दिया जाता है उन्हें दण्ड के रूप में कक्षा में सामाजिक उपहास के द्वारा मानसिक प्रताड़ना दी जाती है, जिनसे उनपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक ही गलती के लिए अलग—अलग सजा दी जाती है। सामान्यतः शिक्षकों का मानना है कि लड़के प्राकृतिक रूप से आक्रामक व विद्रोही होते हैं तथा वे अनुशासित नहीं होते, यदि उनको अनुशासित करना है तथा पुरुषोचित गुणों का विकास करना है तो उनको दण्ड देना जरूरी है।

अधिकतर शिक्षकों की जेंडर पूर्वाग्रहों में युक्त भाषा

शिक्षकों के भाषा में भी लैंगिक असमानता परिलक्षित होती है। यथा—यदि एक लड़का स्कूल में रोता है तो सामान्य तौर पर इसे यह कहकर चुप कराया जाता है कि लड़के तो बहादुर होते हैं। वे लड़कियों की तरह रोते नहीं हैं। वहीं एक लड़की को यह कहा जाता है कि 'तुम तो बहुत सुन्दर हो रोकर चेहरा खराब करना है? चूँकि लड़के व लड़कियों के मध्य अतः क्रिया को सामान्य व्यवहार नहीं माना जाता अतः शिक्षक भी इस अलगाव को बनाएँ रखने हेतु भरसक प्रयास करते हैं तथा इस मानदंड का उल्लंघन करने पर शाब्दिक टिप्पणी भी उनके द्वारा दिए जाते हैं। तथा वे परोक्ष रूप से लगातार इस ओर प्रयासरत रहते हैं। कि लड़के व लड़कियाँ अपने पुरुषोचित व स्त्रियोचित गुणों व भूमिकाओं के अनुरूप ही कार्य करें।

भाषा न केवल हमको यथार्थ से अवगत कराती है। बल्कि हमारे अन्दर यथार्थ को देखने के नजरिए को भी बनाती है। उदाहरण दोनों लिंग को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए न केवल एक लिंग को बरीयता दी जाए।

निष्कर्ष

अंततः हम कह सकते हैं कि विद्यालय भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अनुरूप स्त्री व पुरुष के समाजीकरण का कार्य करती हुई प्रतीत होती है। यह उसी पितृसत्तात्मक स्त्री व पुरुष छवि को गढ़ने में अहम् भूमिका निभा रही है। विद्यालयी वातावरण में महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव दिखाई देता है। 21वीं सदी के बदले सामाजिक परिवेश में एक स्वतंत्र चेतना युक्त नारी को गढ़ने के लिए शिक्षा को अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। इसके लिए विद्यालयी वातावरण में जेंडर असमानता पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यालय का बालक के समाजीकरण में सीधा एवं बहुत गहरा संबंध है। अतः आवश्यकता है विद्यालयी वातावरण को लिंग संवेदनशील बनाने की जो स्त्री की उचित न्यायपूर्ण एवं मानवीय छवि विकसीत करें।

सुझाव

1. शिक्षक/शिक्षिक लड़के एवं लड़कियों के मध्य स्वस्थ अंतः क्रिया को प्रोत्साहित करें।
2. विद्यार्थियों को समूह आधिन्यास दिया जाए तथा लड़के एवं लड़कियों को समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें।
3. कक्षा में कार्यों का बँटवारा लड़के व लड़कियों के मध्य समान रूप से होना चाहिए।
4. यदि एक लड़का व लड़की बात करते हैं अथवा अतः क्रिया करते हैं। तो उस पर कोई नकारात्मक शाब्दिक टिप्पणी न किया जाए तथा उसे तथाकथित बुरे काम की श्रेणी से बाहर निकालकर देखा जाए।
5. यदि हमें विद्यार्थी के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है तो आवश्यक है उसके अंदर समस्त गुणों का विकास किया जाए न कि गुणों का लिंग स्त्रियोचित एवं पुरुषोचित के आधार पर बटवारा करके आधा-आधा इंसान बनाया जाए।
6. शिक्षक को कक्षा में हमेशा जेंडर तटस्थ शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

संन्दर्भ ग्रन्थ

- कुशवाहा, मधु (2014) जेंडर और शिक्षा. वाराणसी. गंगा सरन ऐण्ड ग्रैण्ड सन्स
- भसीन, कमला (2000) भला यह जेंडर क्या हैं? नई दिल्ली, जागोरी
- फेरे, पाओलो (1997) उत्पीड़ितों का शिक्षाशास्त्र. नई दिल्ली ग्रंथ शिल्पी
- जेंडर और शिक्षा रीडर भाग 1 (2010) नई दिल्ली निरंतर